

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आह्वाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
214/2024

दायर दिनांक
20.05.2024

निर्णय दिनांक
11.06.2024


उनवान

1. मैसर्स नोगिया ब्रिक्स जरिये प्रोपराइटर श्री अजीत नोगिया पुत्र श्री रामदेव नोगिया जाति रेगर आयु वयस्क निवासी- भिनाय रोड, बान्दनवाडा श्रीराम धर्मकांटा, जिला अजमेर (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. तुलछी पत्नी स्व० जयराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
2. नारायण पुत्र स्व० जयराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
3. देवी लाल पुत्र रामा भील आयु वयस्क निवासी- मकान नम्बर 423 वेदवती स्कूल के पीछे, वार्ड नम्बर 07 जवाहरनगर, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
4. रतन लाल पुत्र लालू कुम्हार आयु वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
5. भैरू पुत्र हजारी कुम्हार आयु वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
6. मांगी पुत्री हरलाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
7. मोहनी पुत्री हरलाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
8. रतन पुत्र हरलाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
9. लादू पुत्र हरलाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
10. देवा पुत्र गोपी गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
11. परथू पत्नी स्व० गोपी गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
12. बदामी पुत्री सूरता गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

13. सायरी पुत्री सूरता गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
14. नारायण पुत्र हजारी गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
15. छोगा पुत्र श्री खेमा गुर्जर आयु वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
16. नानूराम पुत्र श्री खेमा गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
17. किशन लाल पुत्र श्री करमा गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी पृथ्वीराज चौधरी

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रामपुरिया प०ह० रामपुरिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 343 की अभिलिखित आराजियात 806/302, 294/1, 294/2 कुल किता 03 कुल रकबा 3.8947 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहंस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

Handwritten signature
 राजस्थान राज्य
 भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रामपुरिया प०ह० रामपुरिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 343 की अभिलिखित आराजियात 806/302, 294/1, 294/2 कुल किता 03 कुल रकबा 3.8947 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की चेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आब्दाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपसर्वण्ड अधिकारी
भीलवाडा